Tele
Phone : 06534-235048
Fax : 06534-235155
Website- www.sainikschooltilaiya.org
Email- sainikschooltilaiya@gmail.com
सैनिक स्कूल तिलैया
पोस्ट – तिलैया डैम
पिन – 825 413

एसएसटी / एडम / 18 (ए) / 2018–19 /   23 मार्च 19

सेवा में,

श्री / श्रीमती ....

....

....

....

<u>सैनिक स्कूल तिलैया में शैक्षणिक सत्र : 2019–20 के लिए कक्षा VI/IX में नामांकन</u>

प्रिय महाशय / महाशया,

1. आपके पुत्र / पाल्य .... रौल नं० .... का सैनिक स्कूल तिलैया में शैक्षणिक सत्र : 2019–20 के लिए कक्षा VI/IX में नामांकन हेतु चयन हो गया है ।

2. कृपया सभी आवश्यक कागजात (सनिक स्कूल तिलया के वेबसाइट से अपलोड किए गए प्रारूप के अनुसार) सहित नामांकन हेतु दिनांक .... अप्रैल 2019 को प्रातः 0830 बजे अपने बच्चे को साथ लेकर आएँ । साथ लाए जाने वाले आवश्यक कागजात का पूरा विवरण निम्नानुसार है :–

<u>सभी श्रेणियों के लिए.</u>

(क) **<u>एकरारनामा दस्तावेज (एगोमेंट बौंड).</u>** छात्रवृति प्राप्त करने वाले छात्र के लिए **अनुलग्नक – I (Annexure –I)** के रूप में दिए नमूने के अनुसार या पूर्ण शुल्क अदा करने वाले छात्र के लिए **अनुलग्नक – II (Annexure –II)** के रूप में दिए गए नमूने के अनुसार 15 रूपये का गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर एकरारनामा ।

(ख) **<u>जन्म प्रमाण–पत्र / स्थानांतरण प्रमाण–पत्र.</u>** कृपया नामांकन के समय अपने पुत्र / पाल्य की
उम्र के सत्यापन हेतु निम्न विवरण के अनुरूप प्रमाण–पत्र साथ लाए :–

(i) **<u>छात्र पहले राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त जिस स्कूल में पढ़ता था (कक्षा VI/IX के लिए).</u>** उस स्कूल द्वारा निर्गत स्थानांतरण प्रमाण–पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो तथा जो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो ।

(ii) **<u>छात्र, जिसने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन नहीं किया हा (कक्षा VI/IX के लिए).</u>** उसका नगरपालिका / परिषद / निगम द्वारा प्रतिरक्षित पंजी (रजिस्टर) में दर्ज जन्मतिथि का प्रमाण–पत्र ।

(iii) **<u>छात्र, जिनके अभिभावक रक्षा (सैन्य) सेवा में हैं या पूर्व सैनिक हैं (कक्षा VI/IX के लिए).</u>** संबंधित विभाग के रिकार्ड आफिस द्वारा प्रतिरक्षित सेवापुस्तिका (सर्विस डॉक्यूमेंट) में अंकित जन्मतिथि ही केवल मान्य होगी । सेवारत सैन्यकर्मी अपने पुत्र / पाल्य की जन्मतिथि क सत्यापन हेतु संबंधित विभाग द्वारा निर्गत पार्ट–।। ऑर्डर की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करेंगे, इसके अभाव में नामांकन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी । यदि बच्चे का जन्म

सेवामुक्ति/सेवानिवृति के बाद हुआ हो, तो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा सत्यापित प्रति स्वीकृत की जाएगी ।

(ग) <u>**आय प्रमाण–पत्र.**</u> सरकारी या गैर सरकारी सेवाकर्मी अपना आय प्रमाण–पत्र **अनुलग्नक – III (Annexure –III)** के रूप में निम्न विवरण के आधार पर करेंगे :–

(i) <u>**सरकारी कर्मचारियों के लिए.**</u> नियोक्ता से प्राप्त वेतन प्रमाण–पत्र एवं अभिभावक जहाँ रह रहे हों वहाँ के जिला न्यायालय या अनुमंडल न्यायालय से निर्गत आय शपथ–पत्र तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा सर्किल ऑफिसर द्वारा निर्गत कृषि आय प्रमाण–पत्र ।

(ii) <u>**आय प्रमाण–पत्र (गैर सरकारी सेवा).**</u> अभिभावक जहाँ रह रहे हों, वहाँ के जिला न्यायालय या अनुमंडल न्यायालय से निर्गत आय शपथ–पत्र तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा सर्किल ऑफिसर से निर्गत कृषि आय प्रमाण–पत्र ।

(iii) <u>**पूर्ण शुल्क अदा करने वाले गैर सरकारी सेवक.**</u> नियोक्ता द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र, यदि उनका पुत्र/पाल्य पूरा शुल्क अदा करता हो ।

(घ) <u>**अधिवास शपथ–पत्र.**</u>

(i) **अनुलग्नक – IV (Annexure – IV)** में दिए नमूने के आधार पर, जहाँ अभिभावक रह रहे रहे हों/काम कर रहे हों, वहाँ के जिला न्यायालय या अनुमंडल न्यायालय के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास शपथ–पत्र ।

(ii) **अनुलग्नक – V (Annexure – V)** में दिए नमूने के आधार पर, जहाँ अभिभावक रह रहे हों/काम कर रहे हों वहाँ के जिला अथवा अनुमंडल कार्यालय से निर्गत अधिवास प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।

(ड.) <u>**टीकाकरण प्रमाण–पत्र.**</u> **अनुलग्नक – VI (Annexure-VI)** में दिए नमूने के आधार पर निबंधित चिकित्सक/ सरकारी चिकित्सक से निर्गत टीकाकरण प्रमाण–पत्र ।

(च) <u>**एंटी रैगिंग.**</u> **अनुलग्नक – VII to VIII (Annexure** VII एवं VIII) में दिए नमूने के अनुरूप माता–पिता/अभिभावक एवं छात्र द्वारा लिखित शपथ–पत्र कि उन्होंने रैंगिंग से संबंधित सभी नियमों एवं कानूनों के बारे में अच्छी तरह समझ लिया है और वे उनका अनुपालन करेंगे ।

(छ) <u>**घोषणा–पत्र.**</u> **अनुलग्नक – XI (Annexure- XI)** के रूप में दिए नम्ने के अनुरूप माता–पिता/अभिभावक द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी/प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष घोषित शपथ–पत्र कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी कागजात एवं सूचनाएँ सत्य हैं तथा उन्होंने कुछ छुपाया नहीं है ।

(ज) <u>**आधार कार्ड एवं फोटोग्राफ**</u> छात्र के आधार कार्ड की छायाप्रति, हाल में खींचे गए पासपोर्ट आकार के 12 फोटोग्राफ तथा माता–पिता / अभिभावक (माता–पिता क न होने पर) के पासपोर्ट आकार के 03 फोटोग्राफ जमा करने होंगे। सत्यापन के लिए आधार कार्ड की मूल प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी ।

<u>**रक्षा सेवा तथा अ०जा०/अ०ज०जा० श्रेणी के छात्रों के लिए**</u>.

निम्नलिखित अतिरिक्त कागजात प्रस्तुत करना आवश्यक है :–

(क) <u>**रक्षा सेवा संवर्ग के छात्रों के लिए.**</u>

(i) दिए गए नमूनों के आधार पर **अनुलग्नक - X (Annexure – X)** के रूप में सेवा प्रमाण–पत्र अथवा **अनुलग्नक – XI (Annexure – XI)** के रूप सेवामुक्ति प्रमाण–पत्र ।

(ii) दिए गए नमूनें के आधार पर **अनुलग्नक – XII (Annexure – XII)** के रूप में रक्षा सेवा के छात्रों द्वारा लिखित आश्वासन (अंडरटेकिंग) ।

(iii) पूर्व सैनिकों को सेवामुक्ति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति के साथ मूल प्रमाण–पत्र तथा कार्यरत सैनिकों को ऑफिसर कमांडिंग द्वारा अद्यतन सेवा में होने का मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ख) <u>**अ०जा०/अ०ज०जा० के छात्रों के लिए.**</u> **अनुलग्नक – XIII (Annexure-XIII)** में दिए नमूने के अनुरूप, जहाँ स्थायी निवास हो, वहाँ के डीसी/डीएम/एसडीओ द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति ।

<u>ध्यातव्य.</u>

(i) पूरा शुल्क जमा करने वाले छात्रों को भी अधिवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ii) नमूने में दिए प्रपत्रों/प्रारूपों में किसी शब्द का भी हेर–फेर अमान्य होगा ।

(iii) नामांकन के समय आवश्यक कागजात/प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराने पर नामांकन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

3. अभिभावक उपरोक्त आवश्यक प्रपत्रों को स्कूल के वेबसाइट से डाउनलोड करें और सभी प्रपत्रों को विधिवत पूरा भर कर नामांकन के दिन साथ लाएँ ।

4. नामांकन के समय अभिभावकों द्वारा दिए जाने वाले कपड़ों/सामग्रियों की सूची **परिशिष्ट– 'ए' (Appendix- 'A')** में दी हुई है ।

5. नामांकन के समय समुचित मूल्य पर स्कूल द्वारा दिए जाने वाले कपड़ों/सामग्रियों की सूची **परिशिष्ट– 'बी' (Appendix- 'B')** में दी हुई है ।

6. नामांकन के समय शुल्क के रूप में स्कूल को भुगतान की जाने वाली राशि इस पत्र के **परिशिष्ट– 'सी' (Appendix- 'C')** में दी हुई है ।

7. माता–पिता/अभिभावकों को सैनिक स्कूल सोसाइटी, नई दिल्ली से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप शुल्क, अतिरिक्त शुल्क/बकाया राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा । माता–पिता की आय के आधार पर शिक्षण शुल्क की राशि तब लोटाई या समायोजित कर ली जाएगी, जब छात्रवृत्ति की राशि राज्य/केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति के बाद निर्गत कर दी जाएगी । ऐसा प्रायः वित्तोय वर्ष के अंत में हुआ करता है । जबतक सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की राशि निर्गत नहीं जो जाती, तबतक स्कूल द्वारा निर्धारित सूचना के आधार पर छात्रों को पूरा शुल्क जमा करना होगा ।

8. कृपया यह ध्यान रखें कि यदि आप नामांकन के दिन पूरे कागजात एवं स्कूल का शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में उपलब्ध नहीं कराएँगें तो आपके पुत्र/पाल्य का नामांकन नहीं हागा ।

9. यदि निर्धारित तिथि को नामांकन के लिए आपका पुत्र/पाल्य अस्वस्थता के कारण सशरीर उपस्थित होने में अक्षम हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप सभी कागजात/प्रमाण–पत्रों के अतिरिक्त अपने पुत्र/पाल्य की अस्वस्थता के संबंध में प्रमाण–पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) के साथ उपस्थित हों । यदि निर्धारित तिथि तक आपकी ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आपके पुत्र/पाल्य का नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा तथा वह रिक्ति (सीट) प्रतोक्षा सूची के अनुसार उसके बाद वाले लड़के को आवंटित कर दी जाएगी ।

10. कृपया अभिभावक यह ध्यान रखें कि उनके पुत्र/पाल्य का नामांकन किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा यदि यह पाया गया कि उन्होंने कोई गलत सूचना/कागजात का सहारा लिया है या नामांकन हेतु धोखा देकर कोई आवश्यक सूचना छुपाई है । वह छात्र किसी भी समय निष्कासित कर दिया जाएगा यदि यह पाया गया कि उसने निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया है और इसके लिए किसी भी स्थिति में स्कूल उत्तरदायी नहीं होगा । इस संबंध में प्राचार्य का निर्णय अंतिम और मान्य होगा । धोखाधड़ी से नामांकन कराते हुए पाए जाने पर आवश्यक हुआ तो संबंधित माता–पिता/अभिभावकों पर कानूनी कार्रवाइ की जा सकती है ।

11. किसी भी दुविधा की स्थिति में स्कूल प्रशासन द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण ही अंतिम और मान्य होगा ।

विश्वासभाजन,

Sd/-xxx
(एस जेकब)
ग्रुप कैप्टन
प्राचार्य

<u>**अनुलग्नक**</u> : 1. परिशिष्ट 'ए' से 'सी'
(Appendix – 'A' to 'C')
2. अनुलग्नक -I से XIII
(Annexure- I to XIII)